



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर/सुरक्षा विभाग/पेस्ट/2025-26/224

दिनांक: 06/11/2025

निविदा सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर के अंतर्गत शाखाओं में कीट नियंत्रण उपचार के लिए निविदा आमंत्रण सूचना

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर द्वारा शाखाओं, एक्सटेंशन काउंटरों, कार्यालयों/एटीएम में कीट नियंत्रण उपचार के वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए विक्रेताओं/फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं के पैनल के लिए दो बोली प्राप्तियां (तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली) में मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जो निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट कार्य करने के लिए नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। अनुबंध की बैंक की सामान्य शर्तें, अनुबंध की विशेष नियम व शर्तें और अनुबंध की विशेष नियम व शर्तें, मानक विनिर्देश, कार्य की सीमा, बोलीदाताओं को विशेष निर्देश जैसा कि बाद के पृष्ठों और अनुलग्नों में संलग्न है।

कार्य का वर्णन	जालंधर क्षेत्र के अंतर्गत शाखाओं, विस्तार काउंटरों और कार्यालयों/एटीएम में कीट नियंत्रण उपचार के वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए विक्रेताओं/फर्मों का पैनल तैयार करना।
काम की जगह	जालंधर क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब राज्य में शाखाएँ/कार्यालय/एटीएम
काम की लागत	वाणिज्यिक बोली प्रारूप के अनुसार उद्धृत किया जाना है
बयाना राशि	रुपये 1000/- (वापसी योग्य नहीं) डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में जालंधर में देय।
निविदा प्रकाशन तिथि	06/11/2025
प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	24/11/2025 शाम 04:00 बजे
तकनीकी बोलियां खुलने की तिथि	26/11/2025
संपर्क व्यक्ति का नाम	श्री अतुल कुमार गोयल, सुरक्षा अधिकारी, आरओ जालंधर
संपर्क संख्या	9988538921,
बोलियां प्रस्तुत करने और खुलने का स्थान	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर एससीओ 30-31, तृतीय तल, गुरु रामदास डिवाइन टावर, पुडा कॉम्प्लेक्स, जालंधर- 144001, पंजाब।
खुलने की तिथि वित्तीय बीआईडी	तकनीकी बोली चरण में अर्हता प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।
पत्र-व्यवहार के लिए ईमेल आईडी	securityjalaro@centralbank.bank.in operjalaro@centralbank.bank.in



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

एसडी/-

(राहुल सक्सेना)

क्षेत्रीय प्रमुख

प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी)

शाखाओं, विस्तार काउंटरों, कार्यालयों/एटीएम में कीट नियंत्रण
उपचारों के वार्षिक रखरखाव के लिए विक्रेताओं/फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं
का पैनल बनाना

का

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर के अंतर्गत

क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर

एससीओ 30-31, तीसरी मंजिल, गुरु रामदास डिवाइन टॉवर, पुडा कॉम्प्लेक्स, जालंधर- 144001

जालंधर (पंजाब) - 144001

मोबाइल: 9988538921



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

नोट: इस दस्तावेज़ में कूल 20 पेज (कवर पेज सहित) सभी पृष्ठ प्रस्ताव हेतु अनुरोध

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जालंधर क्षेत्र की शाखाओं, विस्तार काउंटरों, कार्यालयों / एटीएम में कीट नियंत्रण उपचार के वार्षिक रखरखाव के लिए विक्रेताओं / फर्मों का पैनल बनाना।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर, जालंधर क्षेत्र की शाखाओं में कीट नियंत्रण उपचारों की आपूर्ति और रखरखाव के लिए विक्रेताओं/फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं के पैनल के लिए सीलबंद निविदाएं (तकनीकी बोलियां और वित्तीय बोलियां) आमंत्रित करता है। आवश्यकतानुसार, प्रतिष्ठित फर्मों/प्राधिकरण विक्रेताओं से, जिनके पास प्रस्तावित उत्पाद में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो और जो निम्नलिखित अनिवार्य शर्तों/आवश्यकताओं को पूरा करते हों।

पंजाब में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में कीट नियंत्रण उपचार के लिए एएमसी की जिम्मेदारी

आरएफपी फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं और इसे तकनीकी तथा वित्तीय बोली प्रस्ताव के साथ 1000/- रुपये (गैर-वापसी योग्य) का भुगतान करके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में जालंधर में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।

आरएफपी जारी करने की तिथि : 06/11/2025

आरएफपी जमा करने की अंतिम तिथि : 24/11/2025 शाम 4.00 बजे तक

तकनीकी बोली खोलना : 26/11/2025 शाम 4.30 बजे

जिन फर्मों का पंजाब/चंडीगढ़ में अपना पंजीकृत कार्यालय नहीं है, उनके प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

खरीद समिति के नियंत्रण से परे घटनाओं के कारण किसी अप्रत्याशित रुकावट की स्थिति में, बाधित प्रक्रिया अगले कार्य दिवस पर निर्धारित समय पर जारी रहेगी।

कार्य का दायरा

एससीओ 30-31, तीसरी मंजिल, गुरु रामदास डिवाइन टॉवर,
टोल फ्री नंबर 1800221911

वेबसाइट :- <https://www.centralbankofindia.co.in>

पुडा कॉम्प्लेक्स, जालंधर - 144001, पंजाब

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

जालंधर क्षेत्र में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं, एटीएम और अन्य कार्यालयों में आवश्यकतानुसार कीट नियंत्रण उपचार के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध, वार्षिक दर अनुबंध।

बोलियों की जाँच के बाद, सूचीबद्धता के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले विक्रेताओं की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएँगी। सबसे कम बोली लगाने वाली फर्म को कार्य आदेश के लिए विचार किया जाएगा। यदि चयनित विक्रेताओं में से कोई भी निर्धारित अवधि के भीतर आदेशों को पूरा करने में असमर्थ रहता है, तो बैंक को चूककर्ता विक्रेता को 15 दिन का नोटिस देने के बाद उन अधूरे आदेशों को अन्य चयनित विक्रेताओं को आवंटित करने का अधिकार होगा। इसके बाद, यदि L-1 दर के बराबर दर पर कार्य करने के लिए सहमत होता है, तो L-2 विक्रेता को कार्य आदेश प्रदान किए जाएँगे।

दरें तीन वर्षों के लिए स्थिर रहेंगी। हालाँकि, मूल अनुबंध की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के बाद अनुबंध का विस्तार दोनों पक्षों की आपसी सहमति से किया जाएगा। अनुबंध के समय निर्धारित एमसी दरें अपरक्राम्य होंगी और उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। सिस्टम के लिए चयनित विक्रेता को सामग्री की आपूर्ति करनी होगी, स्थापना पूरी करनी होगी और परीक्षण, कमीशनिंग और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के बाद, सिस्टम बैंक को सौंपना होगा।

व्यापक एमसी 3 वर्षों के लिए होगी; तथापि, संबंधित विक्रेता की संतोषजनक सेवाओं के आधार पर हमारे कार्यालय द्वारा वार्षिक आधार पर इसका नवीकरण किया जाएगा। हालाँकि, चयनित विक्रेता को जालंधर क्षेत्र के अंतर्गत शाखाओं में कीट नियंत्रण उपचार का रखरखाव भी करना होगा।

नोट: जालंधर क्षेत्र में पंजाब राज्य के कई जिले शामिल हैं - जैसे जालंधर/कपूरथला/होशियारपुर/मुकत्सर/मानसा/भटिंडा/फाजिल्का/फरीदकोट, जहाँ शाखाएँ और एटीएम व्यापक रूप से फैले हुए हैं। ऊपर बताई गई आवश्यकता पूरे क्षेत्र पर लागू होती है, न कि उस विशेष केंद्र पर जहाँ क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर स्थित है।

1. शॉर्टलिस्टिंग के लिए पात्रता मानदंड

दर अनुबंध या विक्रेताओं की शॉर्टलिस्टिंग के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे। इस प्रयोजन के लिए, विक्रेताओं को निविदा के साथ दस्तावेजों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। जो विक्रेता प्रमाण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं और/या इनमें से किसी भी मानदंड का पालन नहीं करते हैं, वे दर अनुबंध या शॉर्टलिस्टिंग के लिए पात्र नहीं होंगे:

प्रस्ताव दो भागों में होगा, तकनीकी बोली और वित्तीय बोली। (दोनों बोलियाँ एक लिफाफे के नीचे अलग-अलग बंद लिफाफे में होंगी, जिस पर 'कीट नियंत्रण उपचार के लिए तकनीकी बोली' और 'कीट नियंत्रण उपचार के लिए वित्तीय बोली' लिखा होगा।)

नोट: निविदा दस्तावेज मूल रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए, प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर और मुहर लगी होनी चाहिए। फैक्स/टेलीग्राम/टेलेक्स या किसी भी प्रकार का विद्युत संचार स्वीकार्य नहीं होगा।

2. तकनीकी बोली प्रस्ताव (TO)

तकनीकी बोली प्रस्ताव (टीओ) सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए और इसमें इस दस्तावेज में मांगी गई सभी जानकारी शामिल होनी चाहिए। इसमें मूल्य संबंधी कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। तकनीकी बोली प्रस्ताव में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

1. कीट नियंत्रण उपचार के लिए जालंधर में देय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में 1000/- रुपये का डीडी/पे ऑर्डर (वापसी योग्य नहीं)।
2. अनुलग्नक। से VI विधिवत भरा हुआ तथा वांछित प्रमाणों द्वारा समर्थित।
3. दस्तावेजीकरण (उत्पाद ब्रोशर, पत्रक, मैनुअल आदि, यदि कोई हो)

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

4. **विलम्बित बोलियां** :- बैंक द्वारा निर्धारित बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त कोई भी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।

नोट: सभी अनुलग्नक I, II, III, IV, V और VI को कंपनी की मुहर के साथ अधिकृत व्यक्ति के नाम और पदनाम के साथ विधिवत हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

बोली टाइप की जाएगी या अमिट स्याही से लिखी जाएगी और बोलीदाता या बोलीदाता द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी। बोलियों पर उन प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे जिनके पास लिखित पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है। निविदा में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। बोली के सभी पृष्ठों, जिनमें असंशोधित मुद्रित साहित्य भी शामिल है, पर बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अपने आद्याक्षर किए जाएंगे।

उपर्युक्त अनुलग्नक में प्रस्तुत विभिन्न सूचनाओं और विक्रेता द्वारा किए गए अन्य दावों के समर्थन में प्रमाण के रूप में प्रासंगिक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की सत्यापित फोटोकॉपी। (अलग से फाइल में अलग से दाखिल करें।)

3. सामान्य मानदंड

1. **पंजीकृत फर्म/कंपनी को संबंधित क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित निर्माता/प्रतिष्ठित अधिकृत डीलर होना चाहिए, जिसका प्रस्तावित उत्पादों के क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो। (प्रमाणित प्रतियाँ या मूल कार्य आदेश प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएँगे और निगमन प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी)**
2. **अच्छी उत्पाद गुणवत्ता:** - कीट नियंत्रण के लिए विक्रेता द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी उत्पाद अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए और शाखाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले गंधहीन रसायन होने चाहिए।
3. कीट नियंत्रण उपचार में सामान्य कीट नियंत्रण/ दीमक रोधी उपचार/ मच्छर/ चूहे/ तिलचट्टा/ मक्खियाँ/ छिपकली आदि शामिल होना चाहिए।
4. कीट नियंत्रण उपचार के लिए आवेदन करने वाली फर्म के पास पंजाब/हरियाणा/चंडीगढ़ में स्थित कम से कम एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सेट्रल बैंक ऑफ इंडिया जालंधर क्षेत्र के अलावा) की कीट नियंत्रण उपचार प्रणालियों के वार्षिक रखरखाव के लिए कम से कम 3 वर्षों के लिए एएमसी होनी चाहिए।

विक्रेता को अनुलग्नक में संदर्भ स्थल का विवरण प्रदान करना होगा और वे तभी पात्र होंगे जब बैंक को हरियाणा/चंडीगढ़/पंजाब में स्थित किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त होंगी।

1. विक्रेता को कीट नियंत्रण उपचार का पूर्ण प्रदर्शन क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर या बैंक के लिए उपयुक्त किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर अपने खर्च पर देना होगा।
2. प्रदर्शन के बाद यदि समिति उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किसी अन्य/उसी परिसर में एक और डेमो प्रदान करने का अनुरोध करती है, तो विक्रेता को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसे प्रदान करना होगा।
3. फर्मों के पास अपने स्वयं के कर्मचारी होने चाहिए तथा उनके पास सहायता के लिए बुनियादी ढांचा और नेटवर्क होना चाहिए।
4. फर्मों के पास आयकर पैन, टिन नंबर होना चाहिए (पैन कार्ड, टिन नंबर और नवीनतम आयकर रिटर्न की सत्यापित प्रतियाँ जमा की जानी चाहिए)
5. फर्म का दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण होना आवश्यक है। (प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करें) 6. फर्म का पंजाब/चंडीगढ़/हरियाणा में कम से कम एक कार्यालय होना चाहिए जिसमें लैडलाइन टेलीफोन कनेक्शन और ईमेल सुविधा हो, जहाँ शाखा/कार्यालय स्थित है और कार्यालय समय के दौरान कार्यालय में कर्मचारी मौजूद होने चाहिए। शिकायत दर्ज करने के लिए ईमेल को वैध माध्यम माना जाएगा और विक्रेता को 48 घंटों के भीतर शिकायत का समाधान करना होगा।

7. फर्मों का स्वामित्व या नियंत्रण बैंक के किसी निदेशक या अधिकारी/कर्मचारी या उनके रिश्तेदारों के पास नहीं होगा, जिसका अर्थ कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 के तहत दिया गया है। (बैंक के किसी निदेशक या अधिकारी/कर्मचारी या उनके रिश्तेदारों द्वारा एजेंसी/फर्म/निर्माता/डीलर के स्वामित्व को अस्वीकार करने वाला प्रमाण पत्र, जिसका अर्थ कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 के तहत दिया गया है, फर्म के सीईओ या निदेशक द्वारा जारी किया गया हो, जिसे निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना है)।

8. फर्मों को एक वचनबद्धता (अपने लेटर हेड पर) प्रस्तुत करनी होगी कि उन्हें किसी भी सरकारी प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है, तथा यह वचनबद्धता प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा कंपनी की मुहर के साथ हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

9. सेवा कर के भुगतान के लिए फर्मों के पास पंजीकरण संखा होनी चाहिए (प्रमाण की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए या यह बताते हुए वचनबद्धता प्रस्तुत की जानी चाहिए कि उनकी फर्म सेवा कर पंजीकरण के दायरे में नहीं आती है, कंपनी के सीईओ द्वारा कंपनी की मुहर के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए)

कीट नियंत्रण उपचारों का वार्षिक रखरखाव

विक्रेता को कार्यस्थल पर अभिलेखों के रखरखाव के अलावा एक एएमसी रजिस्टर भी रखना होगा। रखरखाव के लिए विक्रेता को सामान्य सुरक्षा सावधानियों का पालन करना होगा। विक्रेता को हर चार महीने में कीट नियंत्रण उपचार करना होगा।

शाखाओं में कीट नियंत्रण उपचार के लिए एएमसी अनुसूची:

क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर के अंतर्गत आने वाली शाखाओं में विक्रेता द्वारा चार मासिक आधार पर कीट नियंत्रण उपचार किया जाएगा। दो एएमसी दौरों के बीच का अंतराल 90 दिनों से कम नहीं होना चाहिए।

विक्रेता से अपेक्षा की जाती है कि वह रखरखाव मानकों में उल्लिखित मानकों को सुनिश्चित करे। एएमसी अवधि के दौरान, तकनीशियनों को कीट नियंत्रण उपचार के लिए शाखा प्रमुख से पुष्टि के बाद बैंक के कार्य समय के दौरान हर महीने चार बार शाखाओं का दौरा करना चाहिए।

कीट नियंत्रण उपचारों की संतोषजनक सेवा/रीफिलिंग के बाद क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एएमसी भुगतान समेकित किया जाएगा। यदि फर्म किसी शाखा में चार मासिक दौरे में शामिल होने में विफल रहती है तो इसे विक्रेता द्वारा सेवा में चूक माना जाएगा और उस अवधि के लिए एएमसी शुल्क उस शाखा में कीट नियंत्रण उपचार की सफल सेवा तक रोक दिया जाएगा। यदि विक्रेता जानबूझकर किसी भी कारण से चार मासिक दौरे से शाखाओं से बचता है तो विक्रेता पर प्रति शाखा 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह के जुर्माने की वसूली विक्रेता को देय राशि या बैंक द्वारा भुगतान किए जाने वाले एएमसी शुल्क से की जा सकती है। यदि अनुबंध अवधि के दौरान इस तरह के मामले की दो बार रिपोर्ट की जाती है, तो बैंक अनुबंध को समाप्त कर सकता है और बैंक गारंटी से जुर्माने की राशि वसूल सकता है।

एएमसी दौरे के दौरान प्रतिनिधि को कर्मचारियों को कीट नियंत्रण उपचार के संचालन के बारे में निःशुल्क जानकारी देनी चाहिए, जो एक अनिवार्य दायित्व है।

एएमसी दौरे के दौरान प्रतिनिधि को नीचे दी गई कीट नियंत्रण उपचार रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें शाखा के फर्नीचर की वर्तमान स्थिति/स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चलता हो।

शाखा में रखरखाव पूरा होने पर, निम्नलिखित प्रारूप में डेटा क्षेत्रीय कार्यालय को जमा करना होगा। क्षेत्रीय कार्यालय में प्रारूप प्राप्त होने के बाद ही शाखा द्वारा भुगतान जारी किया जाएगा (विक्रेता के लेटरहेड पर जमा किया जाना है)।

रिपोर्ट की अनुक्रमिक सीरियल संख्या	कीट नियंत्रण उपचार का प्रकार	शाखा/कार्यालय में कीट नियंत्रण उपचार पूरा होने की तिथि	अंतिम सर्विसिंग तिथि (अनिवार्य अर्धवार्षिक)	एमसी तकनीशियनों की टिप्पणी यदि कोई हो	शाखा अधिकारी की टिप्पणी

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि अनुरक्षण कार्य निर्देशों का पालन करते हुए पूरा कर लिया गया है।

तकनीशियन के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि तकनीशियन ने कीट नियंत्रण उपचार किया है

शाखा प्रमुख के हस्ताक्षर मुहर सहित

4. यदि उनकी तकनीकी बोली पैरा 3 और 4 में दी गई न्यूनतम तकनीकी आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहती है तो बोलियां अस्वीकार कर दी जाएंगी।

विक्रेता को अपने खर्चे पर क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर में पूर्ण प्रदर्शन देना होगा। यदि प्रदर्शन के दौरान प्रदान की गई प्रणाली बैंक द्वारा निर्धारित विनिर्देशों से उच्चतर विनिर्देशों की है, तो उच्चतर विनिर्देशों को उसी दर पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

यदि इस दस्तावेज़ में कहीं भी दिया गया तकनीकी विनिर्देश उपरोक्त विनिर्देश के विपरीत है तो उच्चतर विनिर्देश जो भी हो, मान्य होगा।

a) प्रदर्शन बैंक गारंटी

रु. 20000/- (केवल बीस हजार रुपये) का ऋण, दर अनुबंध की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अलावा किसी अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में जारी किया जाएगा, जो जालंधर में देय होगा। क्रेता को बोलीदाता द्वारा दी गई किसी भी बैंक गारंटी से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का अधिकार होगा, चाहे वह गारंटी किसी भी उद्देश्य से अलग से दी गई हो।

इस निविदा से उत्पन्न सभी देनदारियों की भरपाई बैंक गारंटी से की जाएगी।

5. कार्यान्वयन की शर्तें

- विक्रेता को डाक/ईमेल द्वारा आदेश पत्र प्राप्त होने के बाद शाखाओं/कार्यालयों में क्रय आदेश की तिथि से 7 दिनों के भीतर स्थापना/कार्य पूरा करना होगा; अन्यथा परिसमाप्त क्षति (एलडी) की शर्तें लागू होंगी।
- विक्रेता वारंटी अवधि/एएमसी अवधि के दौरान और उसके बाद, यदि बैंक द्वारा अपेक्षित हो, आवश्यकतानुसार सेवा सहायता प्रदान करेगा। एएमसी/वारंटी अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की खराबी का निवारण शिकायत दर्ज होने के 2 कार्यदिवसों के भीतर किया जाना चाहिए।
- स्थापना/सर्विसिंग के समय विक्रेता/प्रतिनिधि उपकरण के संचालन के बारे में बताएंगे तथा बैंक के कर्मचारियों की शंकाओं का समाधान करेंगे।

8. कवर किए जाने वाले स्थान

सुरक्षा उपकरणों की डिलीवरी की सूचना क्रय आदेश के साथ ही दी जाएगी। हालाँकि, बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार डिलीवरी से पहले स्थान बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सुरक्षा उपकरणों की स्थापना समय-समय पर बैंक की आवश्यकता के अनुसार की जाएगी।

9. बोली प्रक्रिया (दो चरण)

वर्तमान निविदा के प्रयोजन हेतु, द्वि-चरणीय बोली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वर्तमान निविदा का उत्तर दो चरणों में प्रस्तुत किया जाएगा: - (1) तकनीकी बोली जिसमें तकनीकी विशिष्टताओं के अनुपालन सहित सामान्य नियम व शर्तें शामिल होंगी, और (2) वाणिज्यिक बोली (तकनीकी रूप से सफल विक्रेताओं से बाद में आमंत्रित की जाएगी)। बोलीदाता को तकनीकी बोली सीलबंद लिफाफों में, जिस पर विधिवत " कीट नियंत्रण उपचारों की आपूर्ति एवं रखरखाव हेतु विक्रेताओं/फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं के पैनलीकरण हेतु तकनीकी बोली (जो भी लागू हो) " लिखा होगा, नीचे दिए गए पते पर जमा करनी होगी।

तकनीकी बोली में बोलीदाताओं की जानकारी इस दस्तावेज़ में दिए गए प्रारूप में होगी।

तकनीकी बोली में किसी भी प्रकार की मूल्य निर्धारण या वाणिज्यिक जानकारी शामिल नहीं होगी।

पहले चरण में, केवल तकनीकी बोली खोली जाएगी और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। बैंक द्वारा निर्धारित तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले, इस दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने वाले और किसी एक रेफरल साइट पीएसयू/पीएसबी से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं को उत्पाद प्रदर्शन के लिए चुना जाएगा। यदि कम से कम एक रेफरल साइट से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है या रेफरल साइट द्वारा प्रतिकूल प्रतिक्रिया दी जाती है, तो बोली को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। संगठन के डोमेन के माध्यम से ईमेल को मान्य माना जाएगा, हालाँकि जीमेल, याहू या ऐसी किसी भी साइट के माध्यम से ईमेल स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

बोली में अर्हता प्राप्त करने वाले सभी बोलीदाताओं को क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर में या समिति द्वारा निर्धारित स्थान पर प्रणाली का व्यावहारिक प्रदर्शन देना होगा। जिन प्रणालियों का प्रदर्शन असंतोषजनक/अच्छा नहीं पाया जाएगा, उन्हें पैनल में शामिल करने पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में योग्यता/अयोग्यता का निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा और समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और उसकी पुनः जाँच नहीं की जाएगी।

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

दूसरे चरण के अंतर्गत केवल उन बोलीदाताओं की वाणिज्यिक बोली आमंत्रित की जाएगी, जो तकनीकी बोली और प्रदर्शन में योग्य होंगे।

बोली टाइप की जाएगी या अमिट स्याही से लिखी जाएगी और बोलीदाता या बोलीदाता को अनुबंध से जोड़ने के लिए विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी। बोली के साथ संलग्न लिखित मुख्तारनामा द्वारा प्राधिकरण का संकेत दिया जाएगा। बोली के सभी पृष्ठों पर, जिसमें बिना संशोधित मुद्रित साहित्य भी शामिल है, बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अपने आद्याक्षर किए जाएँगे।

बोली में कोई भी मिटाई या ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए, सिवाय इसके कि बोलीदाता द्वारा की गई त्रुटियों को ठीक करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, ऐसी स्थिति में ऐसे सुधार बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अधिकृत किए जाएँगे। बोलीदाता को बैंक द्वारा आवश्यक प्रत्येक वस्तु की कीमत बतानी होगी।

प्रत्येक उपकरण के लिए बोलियां अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में सौंपी जानी चाहिए, जिस पर विधिवत लिखा होना चाहिए " जालंधर क्षेत्र में शाखाओं/कार्यालयों के लिए कीट नियंत्रण उपचार की आपूर्ति और रखरखाव के लिए विक्रेताओं/फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं के दर अनुबंध के लिए वाणिज्यिक बोली:-

क्षेत्रीय प्रमुख,
क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर
एससीओ 30-31, तीसरी मंजिल, गुरु रामदास डिवाइन टॉवर, पुडा कॉम्प्लेक्स, जालंधर- 144001
(पंजाब)

जो निविदाएं सीलबंद लिफाफे में नहीं होंगी, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. मूल्यांकन मानदंड

1) तकनीकी बोलियां (प्रस्ताव):

- तकनीकी प्रस्ताव (TO) सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए और इसमें इस दस्तावेज़ में मांगी गई सभी जानकारी शामिल होनी चाहिए। इसमें मूल्य संबंधी कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। सिस्टम के साथ मुफ्त में दिए जाने वाले किसी भी सॉफ्टवेयर का अलग से और विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
- कोई भी सॉफ्टवेयर/घटक जो छूट गया हो और जिसकी सिस्टम के साथ आवश्यकता हो सकती है, उसे अलग से और विशेष रूप से बिना लागत के दर्शाया जाना चाहिए।
- कार्य-प्रणाली को व्यवस्थित, क्रमांकित और संरचित तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए (सर्पिल बाइंडिंग स्वीकार्य होगी)। कोई भी ब्रोशर/पत्रक आदि खुले रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।
- बैंक निम्नलिखित किसी भी परिस्थिति में प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

- A) आरएफपी दस्तावेज़ के लिए शुल्क जमा नहीं किया गया।
- B) बोली सुरक्षा (ईएमडी) जमा नहीं की गई है।
- C) प्रस्ताव अधूरा है और/या सभी निर्धारित दस्तावेज संलग्न नहीं हैं।
- D) यह प्रस्ताव इस दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुरूप नहीं है।
- E) आरएफपी में निर्धारित विनिर्देशों का पालन नहीं किया गया है। हालाँकि, विचलन के परिणामस्वरूप उच्चतर / श्रेष्ठ विन्यास स्वीकार किया जाएगा।
- F) वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रारूप वास्तविक वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रारूप से भिन्न होता है।
- G) या आरएफपी दस्तावेज में किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है।
- H) या यदि पाया जाए कि प्रस्ताव में दी गई जानकारी फर्जी है।

2. वाणिज्यिक बोलियां:

उत्पाद के सफल प्रदर्शन के बाद ही तकनीकी रूप से योग्य, सूचीबद्ध बोलीदाताओं से ही वाणिज्यिक बोलियाँ आमंत्रित की जाएँगी। वाणिज्यिक बोलियों के बैंक मूल्यांकन में नियमों और शर्तों के अनुपालन की स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा।

किसी भी प्रकार के विलोपन या परिवर्तन हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे। हालाँकि, यदि कोई बोलीदाता दो बोलियाँ प्रस्तुत करता है, तो दस्तावेज शुल्क और अग्रिम राशि (ईएमडी) के साथ न्यनतम उद्धृत बोली पर विचार किया जाएगा और दर अनुबंध को अंतिम रूप दिए जाने के बाद दोनों बोलियों की अग्रिम राशि जारी कर दी जाएगी।

12. दर अनुबंध की वैधता

उपचार के लिए एएमसी दर अनुबंध तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा। व्यापक एएमसी प्रारंभ तिथि से 3 वर्षों के लिए होगी। अनुबंध के समय निर्धारित व्यापक एएमसी दरों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकेगा और उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। हालाँकि, अनुबंध के संतोषजनक समापन के बाद, यदि दोनों पक्ष मौजूदा नियमों व शर्तों और समान दरों पर अनुबंध जारी रखने के इच्छुक हैं, तो कीट नियंत्रण उपचार के लिए एएमसी दर अनुबंध को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, अनुबंध अवधि का विस्तार मूल अनुबंध की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। हालाँकि, बैंक गारंटी 5 वर्ष की अवधि के लिए होगी।

13. मूल्य स्थिरीकरण

अंतिम रूप से निर्धारित मूल्य बोलियों के अंतिम रूप देने की तिथि से 36 महीने की अवधि के लिए मान्य रहेंगे। हालाँकि, व्यापक एएमसी दरें एएमसी प्रारंभ होने की तिथि से 3 वर्ष तक मान्य रहेंगी।

14. आदेश रद्दीकरण

- a. यदि विक्रेता बैंक के 07 कार्य दिवसों या बैंक द्वारा सूचित की गई विस्तारित तिथि के भीतर शाखाओं/कार्यालयों/एटीएम में कीट नियंत्रण उपचार के लिए एएमसी करने में विफल रहता है, तो यह अनुबंध का उल्लंघन होगा।
- b. निर्धारित समय सीमा के भीतर कीट नियंत्रण; उपचार के लिए एएमसी करने में देरी की स्थिति में बैंक आदेश को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

c. क्रेता को बिना कोई कारण बताए एक माह का नोटिस जारी कर दर अनुबंध को रद्द करने का अधिकार होगा।

15. सेवा सहायता की कमी के लिए दंड

बैंक वारंटी और वारंटी के बाद की अवधि के दौरान उचित सेवा सहायता की अपेक्षा करता है। शिकायत दर्ज होने के 48 घंटों के भीतर सिस्टम को ठीक कर दिया जाना चाहिए। यदि विक्रेता द्वारा 3 दिनों से अधिक समय तक शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है, तो शिकायत के तीसरे दिन से लेकर प्रति मामले अधिकतम ₹ 500.00 रुपये तक प्रतिदिन ₹ 100.00 का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना विक्रेता को देय राशि से या बैंक द्वारा भुगतान किए जाने वाले कीट नियंत्रण उपचार के लिए चार मासिक एएमसी शुल्क से वसूला जा सकता है। यदि ऐसा मामला वर्ष में तीन बार रिपोर्ट किया जाता है, तो बैंक अनुबंध समाप्त कर सकता है और दोषपूर्ण सिस्टम को बदल सकता है और बैंक गारंटी से आनुपातिक नुकसान की भरपाई कर सकता है।

जुर्माना विक्रेता को देय राशि से वसूला जा सकता है या बैंक द्वारा चार मासिक एएमसी शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। यदि ऐसा मामला वर्ष में तीन बार रिपोर्ट किया जाता है, तो बैंक अनुबंध समाप्त कर सकता है।

शिकायत दर्ज करने के लिए ई-मेल को वैध साधन माना जाएगा, टेलीफोन के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है, जिसके लिए विक्रेता को समर्पित शिकायत संख्या प्रदान करनी होगी।

16. डिफ़ॉल्ट के लिए समाप्ति

यदि बोलीदाता अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, तो बैंक, अनुबंध के उल्लंघन के लिए किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोलीदाता को लिखित नोटिस भेजकर, इस अनुबंध को पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है।

बैंक द्वारा अनुबंध को पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त करने की स्थिति में, बैंक ऐसी शर्तों पर और ऐसी रीति से, जैसा वह उचित समझे, अप्रदत्त सेवाओं के समान सेवाएं प्राप्त कर सकता है, तथा बोलीदाता ऐसी समान सेवाओं के लिए किसी भी अतिरिक्त लागत के लिए बैंक के प्रति उत्तरदायी होगा।

17. दिवालियापन के कारण समाप्ति

यदि बोलीदाता दिवालिया या अन्य प्रकार से दिवालिया हो जाता है, तो बैंक किसी भी समय बोलीदाता को लिखित सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में, बोलीदाता को कोई मुआवजा दिए बिना अनुबंध समाप्त किया जाएगा।

18. वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी)

a. के लिए, वारंटी के बाद की अवधि के लिए ऑन-साइट रखरखाव शुल्क, चार मासिक/वार्षिक आधार पर उद्धृत किया जाना चाहिए। विक्रेता को वाणिज्यिक प्रस्ताव में उद्धृत दर को कम से कम तीन वर्षों तक उसी दर पर बनाए रखना होगा।

विजिट के अलावा कोई एएमसी शुल्क नहीं देना होगा। विक्रेता को निर्धारित विजिट के अलावा शाखाओं/कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों पर भी बिना किसी अतिरिक्त लागत के ध्यान देना होगा।

विक्रेता को एएमसी शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं दिया जाएगा।

विक्रेता से अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त रखरखाव मानकों के अनुसार ही रखरखाव मानक सुनिश्चित करेगा।

ए.एम.सी. अवधि के दौरान तकनीशियनों को कीट नियंत्रण उपचार के लिए आवधिक रखरखाव हेतु वर्ष के दौरान चार मासिक आधार पर शाखाओं का दौरा करना चाहिए, आपातकालीन दोष मरम्मत कॉल के अलावा बैंक के कार्य घंटों के दौरान प्रत्येक दौरे के बीच न्यूनतम 90 दिनों का अंतराल होना चाहिए।

b. शाखा एवं विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी विजिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, कीट नियंत्रण उपचार के आवधिक रखरखाव हेतु संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा चार मासिक एमसी भुगतान किया जाएगा। यदि फर्म चार मासिक विजिट में उपस्थित नहीं होती है, तो इसे विक्रेता द्वारा सेवा में चूक माना जाएगा और उस तिमाही का एमसी शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। ऐसी समाप्त तिमाहियों के एमसी शुल्क का बाद में दावा नहीं किया जा सकेगा।

c. एमसी दौरे के दौरान प्रतिनिधि को कर्मचारियों को प्रणाली की कार्यप्रणाली समझानी चाहिए तथा शाखाओं में कीट नियंत्रण करने से पहले पूर्व पुष्टि लेनी चाहिए।

d. एमसी दौरे के दौरान प्रतिनिधि को कीट नियंत्रण उपचार की एक तकनीकी रिपोर्ट देनी चाहिए, जिसमें सामान्य कीट/दीमक रोधी उपचार/मखियों/तिलचट्टे/चूहों/मच्छरों आदि के लिए गए कीट नियंत्रण का उल्लेख हो, जिसमें लकड़ी के फर्नीचर की वर्तमान स्थिति/हालत का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो तथा तिमाही दौरे की रिपोर्ट की एक प्रति जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि फर्नीचर/फाइलें/कागजात दीमक से मुक्त हैं, रिपोर्ट हस्ताक्षर और बैंक की मुहर के साथ तिमाही के अगले महीने के 15 दिनों के भीतर क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी को भेज दी जानी चाहिए।

19. विक्रेता द्वारा वचनबद्धता

सफल बोलीदाता को यह वचन देना होगा कि कीट नियंत्रण उपचार में प्रयुक्त सभी रसायन अच्छी गुणवत्ता के तथा प्रतिष्ठित फर्मों के हैं (अधिमानतः गंधीन रसायन का प्रयोग किया जाए)। इसे चालान के साथ प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।

20. न्यूनतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं

बैंक इस सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त न्यूनतम या किसी अन्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का हकदार होगा। बैंक को अपने उपयोग के लिए उपयुक्त किसी भी नई तकनीक को चुनने का अधिकार होगा।

21. ऑफर खोलना

तकनीकी बोली प्रस्ताव 26/11/2025 को शाम 4.30 बजे क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर में खोले जाएँगे। प्रस्तावक /उनके प्रतिनिधि तकनीकी बोली प्रस्ताव खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं। इस संबंध में आपूर्तिकर्ताओं को अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। तकनीकी बोली प्रस्ताव ऊपर निर्धारित समय और तिथि पर खोले जाएँगे, चाहे प्रस्तावकों या उनके प्रतिनिधियों की संख्या कितनी भी हो।

खरीद समिति के नियंत्रण से परे घटनाओं के कारण किसी अप्रत्याशित रुकावट की स्थिति में, बाधित प्रक्रिया अगले कार्य दिवस पर निर्धारित समय पर जारी रहेगी।

22. प्रारंभिक परीक्षा

क्रेता बोलियों की जाँच करके यह निर्धारित करेगा कि क्या वे पूर्ण हैं, क्या कोई गणना संबंधी त्रुटियाँ हुई हैं, क्या बोली दस्तावेज़ में रेखांकित आवश्यक जानकारी प्रदान की गई है, क्या दस्तावेज़ों पर उचित हस्ताक्षर किए गए हैं, और क्या

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

बोलियाँ सामान्यतः सही हैं। निर्माता से उचित प्राधिकरण के बिना एजेंटों द्वारा की गई बोलियों को अनुत्तरदायी माना जाएगा।

अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा। यदि इकाई मूल्य और इकाई मूल्य व मात्रा को गुणा करने पर ग्राप्त कुल मूल्य में कोई अंतर है, तो इकाई मूल्य मान्य होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जाएगा। यदि आपूर्तिकर्ता त्रुटि सुधार को स्वीकार नहीं करता है, तो उसकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। यदि शब्दों और अंकों में अंतर है, तो शब्दों में लिखी राशि मान्य होगी।

यदि बोली को पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं माना जाएगा तो उसे क्रेता द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा बोलीदाता द्वारा गैर-अनुरूपता में सुधार करके उसे उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकेगा।
क्रेता बोली में किसी भी छोटी-मोटी अनौपचारिकता या गैर-अनुरूपता या अनियमितता को माफ कर सकता है, जो कि भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है, बर्ते कि ऐसी छूट किसी भी बोलीदाता की सापेक्ष रैंकिंग को प्रभावित करने के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हो।

23. अनुबंध पर हस्ताक्षर

यदि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया निर्णय लेता है, तो सफल बोलीदाता(ओं) को निविदा प्रदान किए जाने के 7 दिनों के भीतर या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर द्वारा निविदा दस्तावेज़, सफल बोलीदाता की निविदा, स्वीकृति पत्र और अन्य नियम व शर्तें, जो बैंक द्वारा बोली के अनुसार कार्य के सम्यक निष्पादन के लिए आवश्यक समझी जाएँ, के आधार पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ अनुबंध करना होगा। नियम व शर्तें अनुबंध प्रपत्र के निष्पादन के समय हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौता ज्ञापन में शामिल होंगी। बैंक के पास अनुबंध अवधि के दौरान एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का विकल्प होगा।

24. भुगतान की शर्तें

विक्रेता को कोई अग्रिम राशि नहीं दी जाएगी। भुगतान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कार्य के संतोषजनक समापन के बाद, विक्रेता और शाखा अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित और स्टाम्प सहित विजिट रिपोर्ट के साथ बिल जमा करने पर जारी किया जाएगा।

नोट :- "किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को ही मान्य माना जाएगा।"

25. यदि कोई और स्पष्टीकरण हो तो आप निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:

सुरक्षा विभाग,

क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर

एससीओ 30-31, तीसरी मंजिल, गुरु रामदास डिवाइन टॉवर, पुडा कॉम्प्लेक्स, जालंधर - 144001



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

तकनीकी बोली

अनुबंध-

क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर, एससीओ 30-31, तृतीय तल, गुरु रामदास डिवाइन टावर, पुडा कॉम्प्लेक्स,
जालंधर-144001, पी.एच. 9988538921

कीट नियंत्रण उपचारों की आपूर्ति/रखरखाव के लिए फर्मों का पैनलीकरण

कीट नियंत्रण उपचार की आपूर्ति और रखरखाव के लिए बैंक के पैनल में अपना नाम शामिल करने की इच्छा रखने वाली फर्मों के लिए सामान्य जानकारी :

फर्मों से अनुरोध है कि वे फर्म भरने से पहले निम्नलिखित निर्देश पढ़ें।

- प्रोफार्म में दिया गया स्थान पूर्ण विवरण देने के लिए अपर्याप्त है, तो कागज की अलग शीट का उपयोग किया जा सकता है।



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

2. बैंक को दी गई जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।
3. पैनल में चयन/अस्वीकृति के संबंध में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा तथा आगे कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयनित फर्मों को डाक द्वारा सूचित किया जाएगा।
4. यदि भविष्य में किसी भी समय सूचीबद्ध फर्म द्वारा दी गई जानकारी और विवरण गलत पाए जाते हैं या कोई भी रोकी गई जानकारी बाद में बैंक के संज्ञान में आती है, तो सूचीबद्धता तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
5. प्रोफार्मा या उसके किसी भाग पर पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाली फर्म की ओर से किसी एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
6. आवेदन पत्र की कीमत रु. 1000.00 (वापसी योग्य नहीं) है, जिसका भुगतान "सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया" के पक्ष में जालंधर में देय पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाना है। यह कीमत भरे हुए आवेदन पत्र जमा करते समय चुकानी होगी। अपेक्षित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. जहां प्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक हो, वहां ये प्रमाणित प्रतियां होनी चाहिए

क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर

एससीओ 30-31, तीसरी मंजिल, गुरु रामदास डिवाइन टॉवर, पुडा कॉम्प्लेक्स, जालंधर - 144001, जालंधर - 144001, पीएच. 99885

आपूर्ति और रखरखाव के लिए फर्मों/विक्रेताओं के पैनल के लिए आवेदन का प्रारूप आरओ जालंधर के अंतर्गत शाखाओं/कार्यालयों में कीट नियंत्रण उपचार

1.	संगठन का नाम	
----	--------------	--



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

2.	पता और संपर्क नंबर	
2ए.	पंजाब/हरियाणा/चंडीगढ़ में कार्यालयों/डीलरों के पते और संपर्क नंबर	
3.	स्थापना वर्ष, प्रमाण प्रस्तुत करें	
4.	फर्म की स्थिति (चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/साझेदारी फर्म/प्रोप्राइटरशिप फर्म) का प्रमाण प्रस्तुत करें	
5.	निदेशकों/भागीदारों/मालिक का नाम:	
6.	क्या कंपनी रजिस्टर/फर्म रजिस्टर के पास पंजीकृत है। यदि हाँ, तो संख्या और दिनांक बताएँ। प्रमाण प्रस्तुत करें	
7.	बैंकरों का नाम और पता	
8.	क्या यह बिक्री कर के प्रयोजनों के लिए पंजीकृत है? यदि हाँ, तो संख्या और दिनांक बताएँ। बिक्री कर निकासी प्रमाणपत्र की प्रतियाँ भी प्रस्तुत करें।	
9.	क्या आप आयकर करदाता हैं? यदि हाँ, तो स्थायी खाता संख्या बताएँ। आयकर निकासी प्रमाणपत्र की प्रतियाँ प्रस्तुत करें।	
10.	क्या कंपनी/फर्म निर्माता या डीलर/वितरक है? -विचाराधीन उत्पाद का उल्लेख करें	
11।	पंजाब/चंडीगढ़/हरियाणा में प्रत्येक कार्यालय/स्थान पर तकनीकी एवं कार्यालय कर्मचारी उपलब्ध हैं	
12.	वारंटी अवधि, यदि कोई हो	



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

13.	अपनी कंपनी/फर्म और/या निर्माताओं द्वारा प्रदान की गई बिक्री के बाद सेवा सुविधा का विवरण दें।	
14.	आपके कार्यकलापों के क्षेत्र क्या हैं? वार्षिक कारोबार के क्रम में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का उल्लेख करें।	
15.	आपकी कंपनी/फर्म कब से और कितने समय से काम कर रही है? -विचाराधीन उत्पाद का उल्लेख करें। प्रमाण प्रस्तुत करें	
16.	यदि आप अन्य संगठनों/सांविधिक निकायों जैसे बैंक, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, एमईएस आदि के पैनल में पंजीकृत हैं, -(क्षेत्र का नाम बताएँ) जिस उत्पाद पर विचार किया जा रहा है, उसके नाम, श्रेणी और पंजीकरण की तिथि बताएँ। (कृपया पंजाब/चंडीगढ़/हरियाणा के बाहर के संगठनों के नाम शामिल न करें और उन संगठनों को भी शामिल न करें जहाँ आपको अन्य सुरक्षा प्रणालियों के लिए सूचीबद्ध किया गया हो, तोकिन विचाराधीन उत्पाद के लिए नहीं)	
17.	क्या आपको कभी किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा काली सूची में डाला गया है?	
18.	(क्षेत्र/राज्य) में प्रसिद्ध संगठनों के नाम प्रस्तुत करें, जहाँ आपने कीट नियंत्रण सेवाएं प्रदान की हैं, -पिछले तीन वर्षों में विचाराधीन उत्पाद का उल्लेख करें	

कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी:

नोट: जहाँ प्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक है, वे अधिमानतः संबंधित एजेंसियों या सरकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतियां होनी चाहिए।

(कंपनी की मुहर लगाएँ)

हस्ताक्षर:

नाम

पद का नाम:



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

घोषणा

1. मैंने/हमने प्रोफार्मा में संलग्न अनुदेशों को पढ़ लिया है और मैं/हम समझते हैं कि यदि बाद में कोई गलत जानकारी पाई जाती है, तो मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हमारे और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बीच किए गए किसी भी भविष्य के अनुबंध को बैंक द्वारा अमान्य माना जा सकता है और मैं/हम इसके परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगे।
2. मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि ठेकेदारों के चयन में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निर्णय अंतिम और मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी होगा। मेरे द्वारा नीचे दी गई सभी जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
3. मैं/हम सहमत हैं कि यदि संलग्न शीट में मेरे/हमारे द्वारा सूचीबद्ध कार्य के बारे में पूछताछ की जाती है तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं है।
4. मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि मैंने/हमने विषय पैनल प्रक्रिया के लिए सहयोगी संस्था के नाम पर आवेदन नहीं किया है।
5. फर्म को किसी भी सरकारी प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा काली सूची में नहीं डाले जाने की घोषणा, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और कंपनी की मुहर सहित प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि बाद में बैंक को



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

पता चलता है कि फर्म को किसी भी सरकारी प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा काली सूची में डाला गया है, तो फर्म के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

नाम एवं पदनाम

संगठन की मुहर

पी.एस.: विवरण उपरोक्त प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(तकनीकी बोली)

अनुलग्नक - II

कंपनी लेटर हेड पर वचन पत्र

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रमुख

क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर

एससीओ 30-31, तीसरी मंजिल, गुरु रामदास डिवाइन टॉवर, पुडा कॉम्प्लेक्स, जालंधर - 144001,

फ़ोन: 9988538921

महोदय,

पंजीयन: शाखाओं/विस्तार काउंटरों/कार्यालयों/एटीएम में कीट नियंत्रण उपचारों की आपूर्ति और रखरखाव के लिए हमारी बोली

एससीओ 30-31, तीसरी मंजिल, गुरु रामदास डिवाइन टॉवर,

टोल फ़्री नंबर 1800221911

वेबसाइट :- <https://www.centralbankofindia.co.in>

पुडा कॉम्प्लेक्स, जालंधर - 144001, पंजाब



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

हम अपना बोली दस्तावेज यहां प्रस्तुत कर रहे हैं।

हम समझते हैं कि

- यदि उपरोक्त कार्य के लिए हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है, तो हम क्रेता द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर, अपनी लागत पर निर्धारित प्रारूप में एक अनुबंध करने और उसे निष्पादित करने का वचन देते हैं। जब तक एक औपचारिक अनुबंध तैयार और निष्पादित नहीं हो जाता, तब तक यह बोली और आपकी लिखित स्वीकृति हमारे बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी।
- यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है, तो अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए हम जिम्मेदार होंगे।
- आप बिना कोई कारण बताए या कोई स्पष्टीकरण दिए, सम्पूर्ण कार्य एक विक्रेता को सौंप सकते हैं या किसी अन्य विक्रेता को कार्य सौंप सकते हैं।
- विक्रेता से तात्पर्य उस बोलीदाता से है जिसे वाणिज्यिक बोलियों की जांच के बाद तय किया जाता है और घोषित किया जाता है।
- प्रथम चरण (तकनीकी बोली) के पूरा होने के बाद चुने गए बोलीदाताओं के नाम, तथा दूसरे चरण (वाणिज्यिक बोली) के पूरा होने के बाद सफल बोलीदाता, जिन्हें अंततः अनुबंध प्रदान किया गया है, के नाम ईमेल/डाक के माध्यम से सूचित किए जाएंगे।

दिनांक _____ इस _____ दिन _____ 2025.

आपका विश्वासी,
के लिए _____

हस्ताक्षर _____
नाम _____

पूर्व योग्यता

(तकनीकी बोली) अनुलग्नक III

बोलीदाताओं के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड निम्नानुसार हैं: -

एस एल नं.	पूर्व योग्यता मानदंड	अनुपालन (हाँ/नहीं)	
		कीट नियंत्रण उपचार	यदि कोई हो तो संलग्न प्रमाण का विवरण
1	फर्म को संबंधित क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए तथा प्रस्तावित उत्पादों में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।		
2	पूछताछ/रिपोर्ट करने के लिए संपर्क व्यक्ति का टेलीफोन नंबर		

एससीओ 30-31, तीसरी मंजिल, गुरु रामदास डिवाइन टॉवर,
टोल फ्री नंबर 1800221911

वेबसाइट :- <https://www.centralbankofindia.co.in>

पुडा कॉम्प्लेक्स, जालंधर - 144001, पंजाब



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

3	कीट नियंत्रण उपचार के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए आवेदन करने वाली फर्म के पास पंजाब/चंडीगढ़/हरियाणा में स्थित कम से कम 1 सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक या 1 पीएसयू इकाई होनी चाहिए।		
4	पिछले तीन वर्षों से पंजाब/चंडीगढ़/हरियाणा में कम से कम एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ दर अनुबंध पर होना चाहिए।		
5	शिकायत दर्ज करने के लिए ईमेल आईडी		
6	पंजाब/चंडीगढ़/हरियाणा में कम से कम एक कार्यालय और सेवा केन्द्र आरएफपी जारी करने की तिथि से कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत होना चाहिए।		
7	क्या उन्होंने (अपने लेटर हेड पर) यह वचन दिया है कि विक्रेता को किसी भी सरकारी प्राधिकरण या पीएसयू/पीएसबी द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।		
8	क्या पैन कार्ड, टिन, जीएसटी नंबर और नवीनतम आयकर रिटर्न की प्रति जमा करनी होगी?		
9	क्या फर्म ने दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।		
10	क्या बैंक के किसी निदेशक या अधिकारी/कर्मचारी या उनके रिश्तेदारों द्वारा एजेंसी/फर्म/निर्माता/डीलर के स्वामित्व को अस्वीकार करने वाला प्रमाण पत्र, जिसका अर्थ कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 के तहत निर्दिष्ट समान है, निविदा के साथ फर्म के सीईओ या निदेशक द्वारा जारी किया गया है।		
11	पिन कोड और लैंडलाइन टेलीफोन नंबर के साथ कार्यालय का पता		

हस्ताक्षर

कंपनी की मुहर



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

(तकनीकी बोली)

अनुलग्नक IV

अनुपालन के लिए घोषणा

कार्य के दायरे और तकनीकी विशिष्टताओं सहित सभी नियम और शर्तें

हम इस आरएफपी में बैंक द्वारा निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं और सहमत हैं, जिसमें सभी परिशिष्ट, शुद्धिपत्र आदि शामिल हैं (किसी भी विचलन के परिणामस्वरूप बोलियों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है)।

हस्ताक्षर:

कंपनी की मुहर



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

(तकनीकी बोली)

अनुलग्नक V

तकनीकी विनिर्देश उपक्रम

हम प्रमाणित करते हैं कि निविदा के लिए हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रणालियाँ/सेवाएँ निम्नलिखित विचलनों के साथ आपके द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप हैं:

कारणों सहित विचलनों की सूची। (विचलन केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब प्रस्तावित विनिर्देश आवश्यकता से अधिक हो)

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

हस्ताक्षर:

कंपनी की मुहर

(यदि रिक्त छोड़ दिया जाए तो यह माना जाएगा कि ऊपर दी गई विशिष्टाओं से कोई विचलन नहीं है)

(आपूर्तिकर्ता के लेटरहेड पर बैंक को पत्र)

परिशिष्ट 'बी'



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय - जालंधर

कीट नियंत्रण उपचारों की आपूर्ति/एमसी के लिए वित्तीय बोली

फर्म का नाम एवं पता:-

क्र मां क।	वस्तु कीट नियंत्रण उपचार (सामान्य कीट नियंत्रण/दीमक रोधी उपचार/चूहे/मक्खियाँ/चूहे/मच्छर/मक्खियाँ)	प्रति शाखा/कार्यालय वार्षिक कीट नियंत्रण दरें	चार मासिक कीट नियंत्रण दरें	टिप्पणी
1.				
2				
3				

- सरकारी नियमानुसार जीएसटी अतिरिक्त होगा।

नोट:- आपसे अनुरोध है कि आप सभी संभव एक्सेसरीज़ की दरें बताएँ। बाद में यदि यह सूचित किया जाता है कि यह एक्सेसरीज़ की दरें नहीं दी गई हैं, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और कीट नियंत्रण उपचार की मरम्मत आपके खर्च पर करनी होगी। यदि एक्सेसरीज़ पर्याप्त न हों, तो आप अतिरिक्त कागज़ का उपयोग कर सकते हैं।

कृपया कंपनी की मुहर लगाएं

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता